न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1578

1. बलवान सिंह पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम बनगोठडी खुर्द तहसील सूरजगढ हाल तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।
2. बाघाराम पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम बनगोठडी खुर्द तहसील सूरजगढ हाल तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।
3. राजपाल पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम बनगोठडी खुर्द तहसील सूरजगढ हाल तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सूरजगढ तहसील कार्यालय सूरजगढ जिला झुन्झुनूं।
2. सोमवीर पुत्र स्व0 कंवरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बनगोठडी खुर्द तहसील सूरजगढ हाल तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 17.06.2025 प्रकरण संख्या 219/2022 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट उनवानी बलवान सिंह बनाम राजस्थान सरकार जिसमें अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को निरस्त किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 11.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 17.06.2025 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्टस् 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 442 रकबा 2.01 हैक्टर वाके ग्राम बनगोठडी खुर्द तहसील सूरजगढ, हाल पिलानी में स्थित है तथा जमीन हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 1.47 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 71 रकबा 1.47 हैक्टर कुल किता 2, कुल रकबा 2.94 हैक्टर वाके ग्राम बनगोठडी कलां, तहसील सूरजगढ, हाल पिलानी स्थित है। आवेदकगण सगे भाई है और ग्राम बनगोठडी खुर्द के रहने वाले हैं। आवेदकगण के जायन्दा पिता का सही नाम जयकरण है। आवेदकगण के शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट व परिचय पत्र आदि सभी दस्तावेजात में आवेदकगण के पिता का नाम जयकरण दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जमीन वर्णित धारा 1 व 2 आवेदन पत्र के राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण के पिता का नाम जयकरण के स्थान पर गलती से फूलाराम दर्ज कर दिया। आवेदकगण के पिता का नाम फूलाराम न होकर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

जयकरण है। इस प्रकार रांजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने लिपिकीय भूलवश आवेदकगण के पिता का नाम जयकरण की जगह फूलाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। आवेदकगण ने अपने आवेदन पत्र के साथ वर्णित धारा 1 व 2 आवेदन पत्र का राजस्व रिकार्ड व आवेदकगण के समस्त दस्तावेजात की प्रति आवेदन पत्र के साथ पेश की है।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2025 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि आवेदकगण ने प्रकरण में वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। आवेदकगण के पिता का नाम फूलाराम विरासत के आधार पर दर्ज हुआ है। आवेदकगण बलवान सिंह के पिता का नाम फूलाराम भू–प्रबन्ध कार्यवाही में गलती से दर्ज नहीं है। मौजूदा धारा 136 एल.आर. एक्ट के प्रकरण में अगर आवेदकगण बलवान सिंह वगै0 के पिता का नाम फूलाराम की बजाय जयकरण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाता है तो प्रार्थी सोमवीर व जयकरण के अन्य जायज वारिसान के कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर में विचाराधीन पत्रावली व उनके हकूक पर विपरित असर पडेगा। धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रकरण में सिर्फ त्रुटि सुधार की जा सकती है। मौजूदा प्रकरण में आवेदकगण ने स्वीकृत रूप से राजस्व रिकार्ड बनवाया है तथा राजस्व रिकार्ड बनने के बाद एडमिशन के तौर पर राजस्व रिकार्ड को काम मे लेते हुए कई बार बैंकों से लोन लिया है। मौजूदा प्रकरण में आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वल्दियत की त्रुटि कहां हुई है। आवेदकगण ने विरासत नामान्तकरण को चैलेन्ज नहीं किया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट के प्रकरण के माध्यम से वल्दियत परिवर्तित नहीं की जा सकती। ऐसे में आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 17.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं दिनांक 17.06.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थीगण स्वीकृत रूप से स्व० जयकरण के जाइन्दा पुत्र है वो फूलाराम के पुत्र नही है। क्योंकि फूलाराम का देहान्त सन् 1948 में हुआ है जबकि आवेदकगण में सबसे बडा आवेदक सं० 1 बलवानसिंह जिसकी जन्म तिथि 10.07.1957 है इस प्रकार अपीलार्थीगण फूलाराम के देहान्त होने के करीब 10 वर्ष पश्चात अपीलार्थी सं० 1 का जन्म हुआ है तो वो किस प्रकार फूलाराम की संतान हो सकते है अपीलार्थीगण जयकरण के पुत्र है। इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट सं0 2 के निर्देशानुसार अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने मे भारी भूल की है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का था कि अपीलार्थीगण की वल्दियत राजस्व रिकार्ड में गलत अर्थात उनके पिता का नाम सहवन से फूलाराम अंकित कर दिया है जबकि वो फूलाराम के वारिस नही होकर जयकरण के पुत्र है जिसके सबंध मे अपीलार्थीगण द्वारा समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह अंकित किया कि अपीलार्थीगण के पिता का नाम फूलाराम की बजाय जयकरण राजस्व रिकार्ड मे

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

दुरूस्त किया जाता है तो प्रार्थी सोमवीर व जयकरण के अन्य जायज 'वारिसान के कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर मे विचाराधीन पत्रावलियों व उनके हकों पर विपरीत असर पड़ेगा। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में यह घोषणा कर दी कि सोमवीर जयकरण का बेटा है तथा अपीलार्थीगण जयकरण के बेटे नही है अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सोमवीर को एक तरह से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जिसका अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए उसमे विस्तृत तथ्य अंकित किये थे कि अपीलार्थीगण की माता घोटली देवी का पूर्व मे विवाह फूलाराम से हुआ था तथा फूलाराम का देहान्त सन् 1948 मे ही हो गया था तथा अपीलार्थीगण मे सबसे बडे भाई बलवानसिंह का जन्म ही दिनांक 10.07.1957 को अर्थात उनके देहान्त के 10 वर्ष पश्चात हुआ था क्योकि घोटली देवी ने अपीलार्थीगण के पिता जयकरण से नाता कर पुनर्विवाह कर लिया था। तथा घोटली देवी व जयकरण की जानिब से अपीलार्थीगण का जन्म हुआ था तथा जयकरण की दूसरी पत्नी चन्दो देवी से कंवरसिंह धरमपाल व जानाबाई का जन्म हुआ था। अपीलार्थीगण ने कभी भी रेस्पोडेन्ट सं 02 की वल्दियत को व उसके पिता की वल्दियत को चुनौती नही दी है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल कयास के आधार पर तथा रेस्पोडेन्ट सं० 2 के निर्देशानुसार प्रकरण मे एक अलग तरह की विवेचना कर अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि उनके समक्ष प्रश्न यह था कि अपीलार्थीगण जयकरण के पुत्र है जिनका लिपिकीय त्रुटि से राजस्व रिकार्ड मे पिता का नाम फूलाराम अंकित हो गया है। जिसे दुरूस्त किया जाकर उनके पिता का नाम जयकरण अंकित किया जावे तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त समर्थित दस्तावेजों से यह साबित था कि अपीलार्थीगण जयकरण के पुत्र है तथा लिपिकीय त्रुटिवश उनके पिता का नाम फूलाराम अंकित कर दिया गया है जिसे धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत दुरूस्त किया जा सकता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थीगण के पिता का नाम सहवन से फूलाराम अंकित किया गया है वो घोटा देवी के पूर्व पति का नाम है तथा घोटा देवी व उनके पूर्व पति फूलाराम की जानिब से कोई संतान उत्पन्न नही है। तथा फूलाराम का देहान्त हो गया तथा उसके देहान्त के पश्चात जयकरण से नाते जाकर पुर्न विवाह कर लिया तथा जयकरण व घोटा देवी उर्फ घोटली देवी की जानिब से अपीलार्थीगण का जन्म हुआ तथा फूलाराम के नाम की भूमि जो घोटा देवी के पूर्व पति थे वो भूमि अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित हुई उसमें सहवन से अपीलार्थीगण के पिता का नाम फूलाराम अंकित कर दिया जबकि अपीलार्थीगण फूलाराम के पुत्र नही होकर स्व० जयकरण के पुत्र है। उपरोक्त तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के लिये तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। जिसमें सारी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ जाती लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सूरजगढ से किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नही मंगवाई तथा बिना कोई रिपोर्ट मंगाये रेस्पोडेन्ट सं० 2 के निर्देशानुसार अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में भारी भूल की है। इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे फूलाराम के स्थान पर जयकरण अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि जमीन हाल खसरा नं. 442 रकबा 2.01 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम बनगोठड़ी खुर्द तहसील सूरजगढ में स्थित है तथा जमीन हाल ख.नं. 70 रकबा 1.47 हैक्टर, ख.नं. 71 रकबा 1.47 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम बनगोठड़ी कलां तहत तहसील सुरजगढ में स्थित है। स्व. जयकरण पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बनगोठड़ी खुर्द तहसील सुरजगढ उप तहसील पिलानी भारतीय सेना में नौकरी करता था इस कारण भूतपूर्व सैनिक कोटे से तहसील मोहनगढ जिला जैसलमेर में 25 बीघा जमीन स्व. जयकरण को आवंटित हुई थी। स्व. जयकरण के भाई फूलाराम के पुत्र बलवान सिंह, बागाराम व राजपाल ने फर्जी कागजात तैयार कर उक्त आवंटित जमीन (मुरबा) का नामान्तकरण अपने नाम करवाने के लिए कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर में झुठी व फर्जी कार्यवाही शुरू की जिसमें स्व. जयकरण के वारिसान की जांच के बाबत तत्कालिन तहसील चिड़ावा वर्तमान उपतहसील पिलानी में पत्र क्रमांक प–10/भू.पू. सै०/R-447/पी 5889 दिनांक 28.10.2022 में स्व. जयकरण के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक जांच लंबित है। स्व. जयकरण की डिस्चार्ज बुक में चन्दो स्त्री व पुत्र कंवर सिंह दर्ज है बाद में जयकरण के एक पुत्र धर्मपाल व पुत्री ज्ञाना बाई पैदा हुऐ। जयकरण का सन् 1988 में देहान्त होने पर ग्राम बनगोठड़ी खुर्द व ग्राम गोविन्द सिंह का बास तहसील राजगढ की कृषि भूमि का विरासतन नामान्तकरण उसके जायज वारिस कंवर सिंह, धर्मपाल सिंह व ज्ञाना बाई के नाम दर्ज हुआ। कंवर सिंह के देहान्त पर कंवर सिंह के वारिसान प्रार्थी वगैरह के नाम दर्ज हुआ। फूलाराम पुत्र रणजीत के नाम ग्राम बनगोठड़ी कलां व ग्राम गोविन्द सिंह का बास तहसील राजगढ का विरासतन नामान्तकरण फुलाराम के वारिस स्त्री घोटली, पुत्रगण बलवान, बागाराम, राजपाल के नाम दर्ज हुआ। ग्राम गोविन्द सिंह का बास की जमीन का बंटवारा करवाया है उसमें बलवान सिंह, बागाराम व राजपाल के पिता का नाम फुलाराम है। फुलाराम के वारिसान ने जमीन पर फुलाराम के वारिसान के तौर पर बैंक से ऋण लिया है। बलवान के दो नाम है जिनमें बलवान व बलवन्त एक ही व्यक्ति के दो नाम है। बिजली बिल में बलवन्त पुत्र फूलाराम दर्ज है। बलवान सिंह वगैरह के पिता का नाम पहले मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, राशन कार्ड, आधार कार्ड में फुलाराम दर्ज है।

अपीलान्टस् बलवान सिंह, बागराम व राजपाल स्व. जयकरण के वारिस नहीं है। अपीलान्टस् बलवानसिंह वगैरह स्व. फुलाराम के वारिस है। अपीलान्टस् ने कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर में विचाराधीन मुरब्बा आवंटन नामान्तकरण पत्रावली में अपने नाम गलत नामान्तकरण करवाने के लिए जयकरण के झुठे वारिस बनने के लिए मौजूदा धारा 136 एल.आर.एक्ट की पत्रावली न्यायालय हाजा में दाखिल की है अपीलान्टस् ने कार्यालय उपनिवेशन बीकानेर के प्रकरण को एवं जांच लंबित को आवेदन पत्र में छुपाया है। जमीन हाल ख.नं. 70 व 71 वाके ग्राम बनगोठडी कलां प्रार्थी व आवेदकगण व अन्य की संयुक्त खातेदारी की जमीन है। आवेदकगण ने प्रकरण में वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। आवेदकगण के पिता का नाम फुलाराम विरासत के आधार पर दर्ज हुआ है। अपीलान्टस् बलवान सिंह के पिता का नाम फुलाराम भू–प्रबन्ध कार्यवाही में गलती से दर्ज नहीं है। मौजूदा धारा 136 एल आर एक्ट के प्रकरण में अगर आवेदकगण बलवान

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

सिंह वगैरह के पिता का नाम फुलाराम की बजाय जयकरण राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाता है तो प्रार्थी सोमवीर व जयकरण के अन्य जायज वारिसान के कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर में विचाराधीन पत्रावली में उनके हकूक पर विपरीत असर पड़ेगा। अपीलान्टस् की तीन बहने हवाकोर, रोशनी एवं सुमन है। उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। धारा 136 के अन्तर्गत त्रुटि सुधार होता है। कोई लिपिकीय भूल को सुधारा जाता हैं अपीलान्टस् के पिता का नाम पुराने राजस्व रिकार्ड में परिचय पत्र, आधार कार्ड, वोटरलिस्ट व परिचय पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजात में गलत रूप से अपने पिता का नाम जयकरण दर्ज करवाया है। तथा अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड के बारे में दिनांक 26.08.2022 को जानकारी हुई गलत है। आवेदकगण फुलाराम के पुत्र बनकर सन् 2007 से 2022 तक बैकों से लोन लिया है तथा जमा करवाते रहे है। जयकरण पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बनगोठडी खुर्द भारतीय सेना में नौकरी करता था। मोहनगढ जैसलमेर में 25 बीघा जमीन जयकरण को आंवटित हुई। जयकरण के भाई फुलाराम के पुत्र बलवान, बागाराम, राजपाल व बहन रोशनी, हवाकौर, सुमन ने फर्जी दस्तावेजात तैयार कर उक्त आंवटित जमीन का नामान्तकरण अपने नाम करवाने के लिये बीकानेर में झुठे व फर्जी कार्यवाही शुरू की। जिसमें जयकरण के वारिसानों की जांच लम्बित है। जयकरण की डिस्चार्ज बुक में चन्दो स्त्री पुत्र कंवर सिंह दर्ज है। बाद में जयकरण के एक पुत्र धर्मपाल व पुत्री ज्ञानबाई हुई। अपीलान्टस् अपनी वल्दियत परिवर्तन कराना चाहते हैं वल्दियत परिवर्तन करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अपीलान्टस् को राजस्व रिकार्ड के बारे में काफी वर्षों से जानकारी थी तथा ग्राम मोहनगढ़ जैसलमेर की जमीन में आवेदकगण के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है तथा गढ़ गंगा के पण्डित द्वारा शपथ पत्र में आवेदकगण के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है। इस आधार पर अपीलान्टस् का आवेदन पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अपीलान्टस् ने सहकारी बैंक से लिये गये लोन में भी पिता का नाम फुलाराम दर्ज है जो लोन माफ हुआ। जिसका प्रमाण तहसीलदार चिडावा द्वारा जारी किया गया बागाराम पुत्र फुलाराम के द्वारा राजगढ़ चुरू सहकारी बैंक में लोन माफ हुआ तथा बैंक लोन ले रखा है। जयकरण की धर्मपत्नी का देहांत दिनांक 24.10.1984 को हुआ। जयकरण पुत्र रणजीत का देहांत दिनांक 13.04.1988 को हुआ। बलवान, बागाराम, राजपाल की माता घोटी देवी पत्नी फुलाराम का देहांत दिनांक 04.02.2007 को हुआ जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। घोटी देवी अगर जयकरण की पत्नी होती तो जयकरण की मृत्यु के पश्चात 19–20 वर्ष तक आर्मी, पेंशन क्यों नही ली है। आर्मी रिकार्ड के अनुसार जयकरण की धर्मपत्नी चन्दो एवं पुत्र कंवर सिंह का नाम दर्ज रिकार्ड है। आवेदकगण द्वारा ग्रामवासियों का जो शपथपत्र पेश किया है व फर्जी है। उक्त लोगों ने स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश नहीं कियें हैं। अपीलान्टस् ने उपखण्ड अधिकारी राजगढ (चुरू) में वाद संख्या 117/82 दावा बाबत घोषणात्मक एवं विभाजन अन्तर्गत 88/58 आर.टी. एक्ट उनवानी बलवान व अन्य बनाम पतराम व अन्य प्रस्तुत किया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 15.09.1982 में हुआ था। अपीलान्टस् द्वारा बलवान पुत्र फूलाराम के नाम से वाद दायर किया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्टस् द्वारा जयकरण पुत्र रणजीत को भी पक्षकार बनाया गया है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि अपीलान्टस् फूलाराम के वारिस हैं।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2025 द्वारा यह निर्णय किया गया कि आवेदकगण ने प्रकरण में वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। आवेदकगण के पिता का नाम फुलाराम विरासत के आधार पर दर्ज हुआ है। आवेदकगण बलवान सिंह के पिता का नाम फूलाराम भू–प्रबन्ध कार्यवाही में गलती से दर्ज नहीं है। मौजूदा धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रकरण में अगर आवेदकगण बलवान सिंह वगै0 के पिता का नाम फुलाराम की

बजाय जयकरण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाता है तो प्रार्थी सोमवीर व जयकरण के अन्य जायज वारिसान के कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर में विचाराधीन पत्रावली व उनके हकूक पर विपरित असर पडेगा। धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रकरण में सिर्फ त्रुटि सुधार की जा सकती है। मौजूदा प्रकरण में आवेदकगण ने स्वीकृत रूप से राजस्व रिकार्ड बनवाया है तथा राजस्व रिकार्ड बनने के बाद एडमिशन के तौर पर राजस्व रिकार्ड को काम मे लेते हुए कई बार बैंकों से लोन लिया है। मौजूदा प्रकरण में आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वल्दियत की त्रुटि कहां हुई है। आवेदकगण ने विरासत नामान्तकरण को चैलेन्ज नहीं किया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट के प्रकरण के माध्यम से वल्दियत परिवर्तित नहीं की जा सकती। ऐसे में आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। वह सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हाल अपीलान्टस् प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट के जरिये बलवान सिंह वगैरह पिता का नाम फूलाराम की बजाय जयकरण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाये जाने को लेकर विवाद है। जिसके सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रकरण के माध्यम से वल्दियत परिवर्तित नहीं की जा सकती है। यदि अपीलान्टस् अपनी वल्दियत में परिवर्तन करवाने चाहते हैं तो उन्हे सिविल न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये दावा प्रस्तुत करना चाहिये। अपीलान्टस् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनूं में धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वल्दियत में परिवर्तन करवाने हेतु निवेदन किया गया है। वल्दियत परिवर्तन करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं ने अपीलान्टस् का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2025 पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2025 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर